

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 85

दिनांक:- 10.5.2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री श्री धुलाल पि० रतनजी

जति परेल उम्र 45 नि० रतन तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत J.b दिनांक 10.5.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा रतन पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 279 पर आराजी नं० 1334 ~~1335~~ कुल 1 बीघा 311/2 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी करानु चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी दोवडापाल नि० रतनजी ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रतन की जमाबंदी सन्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा रतन में स्थित खाता संख्या 124 पर आराजी नं० 1335 रकबा 911/4 कुल किता 1 कुल रकबा 911/4 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा रतन में स्थित खाता संख्या 279 पर आराजी नं० 1334 रकबा 311/2 कुल किता 1 कुल रकबा 311/2 की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर मू०अ० निरीक्षक हथार के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 300/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तमी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फँसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर